

# कार्यालय जिला पंचायत, बाँदा

## खनिज परिवहन शुल्क वसूली ई-निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत बाँदा द्वारा जनपद बाँदा के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरम, रेत या अन्य खनिज गिट्टी, पत्थर, बोल्डर, सुरखी, चूना, भस्सी, कोयला, बजरी, खारो से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले में या जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्तिचालित वाहनों से खनिज के उद्गम स्थलों पर शुल्क वसूली सम्बन्धी ठेका/नीलामी वर्ष 2018-19 (दिनांक-31.03.2019 तक) के लिए ई-निविदा दिनांक -12.07.2018, 26.07.2018 एवं 07.08.2018 को आमंत्रित की गई थी, किन्तु अर्ह निविदा प्राप्त न होने के फलस्वरूप पुनः दिनांक-18.08.2018 समय प्रातः 10.00 बजे तक निविदा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जाती है, जिसके लिए टेण्डर फार्म ई-टेण्डरिंग पोर्टल <http://etender.up.nic.in> दिनांक-10.08.2018 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक -18.08.2018 को प्रातः 10.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा। तकनीकी निविदा दिनांक -18.08.2018 को समय पूर्वाह्न 12.00 बजे से खोली जायेगी तथा वित्तीय निविदा उसी दिन दिनांक-18.08.2018 को समय सांय 03 बजे खोली जायेगी। दोनो ई-निविदा कार्यालय जिला पंचायत बाँदा के अपर मुख्य अधिकारी कक्ष में ससमय खोली जायेगी। निविदादाता को अपने समस्त प्रमाण पत्र की स्कैन कापी निविदा के साथ ई-टेण्डरिंग पोर्टल <http://etender.up.nic.in> अपलोड करना होगा तथा मूल प्रमाण पत्र शर्तों के अनुसार दिनांक -18.08.2018 को समय प्रातः 11.00 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डाक द्वारा अनिवार्य रूप से कार्यालय जिला पंचायत, बाँदा के अपर मुख्य अधिकारी कक्ष में सीलड बाक्स में जमा कराना होगा, अन्यथा की स्थिति में निविदादाता के ई-निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

टेण्डर फार्म का शुल्क रु0 10,000/- (टेण्डर फार्म का मूल्य)+ 1 प्रतिशत सीजीएसटी +1 प्रतिशत एसजीएसटी का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के माध्यम से अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बाँदा के नाम से देय होगा, जो कि टेक्निकल बिड के साथ देना अनिवार्य होगा। उपरोक्त टेण्डर के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एवं शर्त जिला पंचायत कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में एवं <http://etender.up.nic.in> पर देखी जा सकती है।

(संतोष कुमार त्रिपाठी)  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत बाँदा

(सरिता द्विवेदी)  
अध्यक्ष  
जिला पंचायत बाँदा।

## कार्यालय जिला पंचायत, बाँदा

पत्रांक - 334 /तह बाजारी ठेका/2018-19/दिनांक - 08/08/2018

उक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मा0 आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा को सादर अवलोकनार्थ।
3. मा0 अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत, बाँदा को अवलोकनार्थ।
4. जिलाधिकारी महोदय, बाँदा को अवलोकनार्थ।
5. नगर मजिस्ट्रेट, बाँदा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या-436/जे0ए0 दिनांक-03.08.2018 द्वारा आपको खनिज परिवहन शुल्क वसूली की ई-निविदा खोले जाने हेतु प्रतिनिधि नामित किया है, अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक-18.08.2018 को अपरान्ह 12.00 बजे जिला पंचायत कार्यालय में ई-निविदा खुलवाने का कष्ट करें।
6. पुलिस अधीक्षक महोदय, बाँदा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त तिथि में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बाँदा।
8. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी जनपद-बाँदा को अपने नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

9. व्यवस्थापक प्रादेशिक समाचार पत्र दैनिक हिन्दुस्तान एवं स्थानीय समाचार पत्र दैनिक श्री इण्डिया बाँदा को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त विज्ञापित अपने समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम स्थान में बाँदा संस्करण में प्रकाशित कराकर दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
10. वित्तीय परामर्शदाता/अभियन्ता (सदस्य नीलाम समिति) जिला पंचायत, बाँदा को इस आशय से प्रेषित कि वे निर्धारित समय में कार्यालय जिला पंचायत, बाँदा में उपस्थित रहकर उपरोक्तानुसार नीलामी कार्यवाही सम्पादित करायें।
11. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बाँदा को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त विज्ञापित बाँदा जिले की वेबसाइट <http://banda.nic.in> पर डाउनलोड कराने का कष्ट करें।
12. प्रभारी कोतवाली, शहर-बाँदा को इस आशय से कि वे निर्धारित तिथि में शांति व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. कैशियर जिला पंचायत, बाँदा को इस निर्देश के साथ कि वे ई-टेण्डरिंग तिथि को टेण्डर दाताओं की जमानत जमा करायें।
14. समस्त राजस्व निरीक्षक एवं कर समाहर्ताओं को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त नीलामी का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें।
15. जिला पंचायत, बाँदा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।



*Sant*  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, बाँदा  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, बाँदा